अमोल रतन सिंह न्यायमूर्ति के समक्ष

रानी और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

मनोज और अन्य-उत्तरवादीगण

2019 का सी आर संख्या 2230

31 मई, 2019

क. **विशिष्ट राहत अधिनियम-धारा 6 (4)-धारा 6 (4) के तहत मुकदमा-स्वामित्व के लिए बाद के मुकदमे पर कोई पुन: न्याय नहीं।**

यह माना गया कि इस प्रकार, इस तरह के मुकदमे में (1963 के अधिनियम की धारा 6 के तहत) केवल एक ही बात देखी जा सकती है, देखने वाली एकमात्र बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का मुकदमा दायर किया है, वह वास्तव में मुकदमे की भूमि पर काबिज साबित हुआ है जिससे उसे अवैध रूप से बेदखल होने के छह महीने की अवधि के अंदर उसने वह मुकदमा दायर किया है।।

(पैरा 37)

आगे यह माना गया कि स्वाभाविक रूप से यह पुन: न्याय का मूल सिद्धांत है, जो तब भी पूरी तरह से लागू नहीं होता है, हालांकि, जब विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत एक मुकदमा दायर किया जाता है और और यहां तक कि वादी के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, जिसमें प्रतिवादी को अभी भी बाद के मुकदमे में स्वामित्व का सवाल उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

(पैरा 42)

ख. **साक्ष्य अधिनियम-अनुभाग-40 के अनुसार लागू नहीं होगा यदि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 (4) के तहत पहले दायर किए मुकदमे पर लागू नहीं होगा क्योंकि कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है।**

यह माना गया कि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 के तहत पर विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर आते हुए, हालांकि वह प्रावधान स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रासंगिक होगा यहा तक कि पुन: न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए, हालांकि, एक वैधानिक प्रावधान के सामने विशिष्ट परिस्थितियों में राहत देने के उद्देश्य से अधिनियमित विशेष अधिनियम, अर्थात विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 साक्ष्य अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि एक बार 1963 का अधिनियम यह निर्धारित करता है कि उस अधिनियम की धारा 6 के तहत लाया गया मुकदमा उस मुकदमे के पक्ष को अपना स्वामित्व साबित करने के लिए एक अलग मुकदमा शुरू करने से नहीं रोकेगा, स्वाभाविक रूप से 1872 के अधिनियम की धारा 40 का कोई आवेदन नहीं हो सकता है।

(पैरा 43)

संदीप सिंघल, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए

2019 का सीएम संख्या 12488-सीआईआई

(1) 05.04.2019 को सलग्न याचिका में निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था और दिनांक 17.05.2019 के आदेश मे दर्ज कारणो के आधार पर मामले को फिर से सुनवाई के लिए रखा गया था इस प्रभाव से कि निर्णय के निर्देश के दौरान, यह देखा गया कि यद्द्पि याचिका में यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले उत्तरवादीगण /पहले प्रतिवादी के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए गए थे, उन मामलों में से केवल एक मामले में निर्णय और डिक्री (याचिकाकर्ता नं.2), द्वारा दायर याचिका के साथ संलग्न किया गया है, उस निर्णय की एक प्रति अनुलग्नक पी-4 है और जारी की गई डिक्री की प्रति अनुलग्नक पी-5 है।

(2) इस प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा यानि रानी द्वारा स्थापित वाद में निर्णय को सलग्न नहीं किया गया था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि क्या उक्त मुकदमा भी विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था या अन्यथा।

(3) परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा स्थापित मुकदमे की एक प्रति रिकॉर्ड पर सलग्न याचिका मे रखने का निर्देश दिया गया। यह आवेदन 2013 के दीवानी मुकदमा संख्या 505 में पारित निर्णय और डिक्री को रिकॉर्ड पर रखने की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसका निर्णय विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रोहतक द्वारा 03.10.2017 पर किया गया है, याचिकाकर्ता संख्या 1 रानी द्वारा दायर एक मुकदमा होने के नाते 1963 के अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के तहत राहत की मांग रही है।

(4) उक्त वाद याचिकाकर्ता संख्या 1 के पक्ष मे निर्णय दिया गया था, वाद की संपत्ति पर कब्जे के साथ जिसमें प्रतिवादियों द्वारा सौंपने का आदेश दिया गया है, जिनमें से दो वही हैं जिनहे सलग्न याचिका मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रूप मे पक्षकार बनाया गया है, उस मामले में तीसरा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता नानक चन्द है, वर्तमान याचिका मे प्रतिवादी नंबर 3 प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 की माता स्वर्गीय नानक चंद की पत्नी है

(5) आवेदन की अनुमति दी जाती है और 2013 के दीवानी मुकम्दा संख्या 505 में विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रोहतक द्वारा 03.10.2017 पर पारित निर्णय और डिक्री की एक प्रति, सलग्न याचिका में अनुलग्नक पी-8 के रूप में रिकॉर्ड में ली जाती है ।

2019 का सी. आर. संख्या 2230 (ओ एंड एम)

(6) इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), रोहतक द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2019 को चुनौती दी है।

जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 आदेश 7 के तहत उनके (उस अदालत के समक्ष मुकदमे में प्रतिवादियों) द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

(7) अपने आवेदन में याचिकाकर्ताओं का तर्क (अनुलग्नक पी-2 की प्रतिलिपि) यह था कि मुकदमा पूर्वन्याय के सिद्धांत पर चलने योग्य नहीं था, विचाराधीन मुद्दा पहले से ही दो दीवानी मुकदमो मे अंतिम रूप से तय किया जा चुका है।

(8) याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि उन्होंने दिनांक 30-03-2007 को बिक्री विलेख के माध्यम से वाद भूमि खरीदी थी, जिसे एक सक्षम अदालत द्वारा वैध माना गया था और उन्हें भूमि का कब्जा देने का भी आदेश दिया था, और यह कि सिविल न्यायाधीश की अदालत ने फैसला किया था कि उस मुकदमे के अधीन नहीं हैं जिसके समक्ष तत्काल मुकदमा लंबित था, बाद वाली अदालत इस मामले पर फिर से निर्णय नहीं ले सकती थी।

(9) अंत में, यह तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता एक सक्षम अदालत में स्थापित निष्पादन कार्यवाही में मुकदमे की भूमि पर कब्जा करने की प्रक्रिया में थे, इसलिए उनके कानूनी अधिकार का ऐसा प्रयोग, "वादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है"।

(10) उत्तरवादी-वादीगण द्वारा उस आवेदन पर एक उत्तर दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पिछली याचिका में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) द्वारा पारित निर्णय और डिक्री वह थी जिसमें वह दीवानी मुकदमा वास्तव में बनाए रखने योग्य नहीं था, जिसके बावजूद वादी को अपना हक साबित करने का उचित अवसर दिए बिना डिक्री पारित की गई थी।

(11) 30 मार्च, 2007 को वाद भूमि की खरीद के संबंध में, प्रतिवादी-वादियों के अनुसार बिक्री विलेख 'निष्पादित' धोखाधड़ी पर आधारित थे।

(12) वादी के उत्तर मे यह तर्क दिया गया कि हालांकि सिविल न्यायाधीश की अदालत मे, जैसा कि पिछली अदालत ने फैसला किया था, वह उस अदालत की अधीनस्थ अदालत नहीं थी जिसमें एक नया मुकदमा दायर किया गया था, तथापि 03.10.2017 को पिछली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कायम रहने योग्य अपील नहीं की जा सकती थी और आवेदको मे से एक (आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन में), नानक चंद के कानूनी उत्तराधिकारी होने के बावजूद, उन्हे पहले के मुकदमे में एक पक्षकार के रूप में नहीं बनाया गया था, अब उसके कानूनी अधिकार का प्रयोग नहीं छोड़ा जा सकता था।

(13) माननीय निचली अदालत ने उपरोक्त दलीलों पर विचार करने के बाद सबसे पहले आक्षेपित आदेश में कहा कि आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय को केवल वाद-पत्र मे निहित कथनो पर गौर करना था और प्रतिवादियो द्वारा दायर किसी भी बचाव को ध्यान मे नहीं रखा जा सका।

और यह कि वाद-पत्र मे शामिल तथ्यों को “प्रथम दृष्टि से सही” माना जाना चाहिए।

(14) इसके बाद, यह देखा गया कि आदेश 7 का नियम 11 "विशिष्ट आधारों" को निर्दिष्ट करता है जिन पर वाद को खारिज किया जा सकता है, जिसमें पूर्वन्याय एक आधार नहीं है, और इस तरह कि वाद को खारिज करने के लिए आधार के रूप में लिया गया है, इस मुद्दे पर दोनों दीवानी मुकदमों में दलीलों की सावधानीपूर्वक तुलना की आवश्यकता है।

(15) यह आगे देखा गया कि मामले के अभिलेख के अवलोकन से पता चला कि आवेदक प्रतिवादी (वर्तमान याचिकाकर्ता) रानी बनाम मनोज और सपना बनाम मनोज नामक पिछले दीवानी मुकदमों में दलीलें पेश करने में विफल रहे थे, और परिणामस्वरूप, यह सुनश्चित नहीं किया जा सका कि क्या उन मुकदमों में शुरुआती रूप से और पर्याप्त रूप से शामिल मामला वर्तमान मुकदमे के समान ही था।

(16) हालाँकि, इसके बाद निचली अदालत ने विवादित आदेश में कहा है कि केवल “सपना बनाम मनोज आदि” शीर्षक वाले दीवानी मुकदमे मे पारित निर्णय दिनांक 03.10.2017 को केवल एक ही प्रति ही प्रस्तुत की गई थी

(17) इसके बाद, यह देखा गया है कि पहले दायर किया गया मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के तहत (वाद संपत्ति के) कब्जे की मांग करने वाला था, जबकि वर्तमान मामले मे मुकदमे की याचिका में निहित दलीलों के अनुसार, वादी का तर्क था कि बिक्री विलेख संख्या।12437 और 12438, दोनों दिनांकित 30.03.2007, को अमान्य घोषित किया जाए, वे जाली दस्तावेज हैं जिन पर वास्तविक मालिकों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वास्तव में संलग्न नहीं थे।

(18) ऊपर के रूप में अवलोकन करने के बाद, उस अदालत द्वारा यह माना गया कि कि आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है और वास्तव में सपना बनाम मनोज आदि शीर्षक वाले दीवानी मुकदमे में पारित दिनांक 03.10.2017 के फैसले का अवलोकन किया जा सकता है। (सपना वर्तमान याचिका में दूसरी याचिकाकर्ता है, अर्थात प्रतिवादी संख्या 2) में, 30 मार्च, 2007 के बिक्री विलेखों की वैधता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था, और वास्तव में उस प्रश्न पर उक्त मुकदमे में निर्धारण के लिए कोई मुद्दा सामने नहीं आया था।

(19) इसलिए, उपरोक्त आधार पर, आवेदन को विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था

(20) इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इससे पहले वर्तमान

याचिकाकर्ताओं द्वारा 1963 के अधिनियम की धारा 6 के तहत दो अलग-अलग दीवानी मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा मांगा गया था, जिसमे उत्तरवादीगण ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन बिक्री विलेखो पर भरोसा किया गया था वे झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज थे।

(21) उन्होंने प्रस्तुत किया कि बिक्री विलेखों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व को मुकदमे की संपत्ति के लिए साबित करने के लिए साक्ष्य दिए गए थे, इस प्रकार **संपत्ति पर उनके कब्जे को साबित** किया गया था।

(22) इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए निचली अदालत ने (उन मुकदमों में से एक में), याचिकाकर्ताओं को वाद भूमि का मालिक ठहराते हुए और 03.10.2017 (अनुलग्नक पी-4 की प्रतिलिपि) के एक फैसले और डिक्री के माध्यम से मुकदमे का फैसला सुनाते हुए, और उस फैसले को अंतिम रूप देने के बाद, यहां प्रतिवादीगण को उसी आधार पर बिक्री विलेखों को चुनौती देने वाला एक नया मुकदमा लाने से रोक दिया गया है, और परिणामस्वरूप, इस तरह के मुकदमे को न्यायिक आधार के सिद्धांत पर रोक दिया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा सिविल प्रक्रिया साहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए थी।

(23) विद्वान वकील ने **शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुंवर** मामले मे सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा करने की मांग की।

(24) श्री सिंघल ने आगे तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40 के संदर्भ में भी, एक निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो कानून द्वारा किसी भी न्यायालय को किसी मुकदमे का संज्ञान लेने से रोकता है, एक प्रासंगिक तथ्य है जब सवाल यह है कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे मुकदमे का संज्ञान लेना चाहिए।

(25) इसलिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

(26) इस मामले पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखी जानी चाहिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान उत्तरवादीगण संख्या 1, 2 व उनके पिता के खिलाफ पहले दायर किए गए मुकदमे, जो 275 वर्ग गज भूमि स्थित खसरा संख्या 36/1/2, 2/1, 9/2 और 10 आबादी के अंदर शिव नगर, रोहतक भूखंड पर कब्जा करना चाहते थे , जिसमें यह तर्क दिया गया था कि उन्हें (वर्तमान याचिकाकर्ताओं) उन मुकदमों में प्रतिवादियों (वर्तमान प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 और उनके पिता) के साथ "10.02.2013 से 20.02.2013 के बीच" से बेदखल कर दिया गया था, जो उन्हें ऐसा अधिकार वापस देने से इनकार कर रहे थे।

(27) उन प्रत्येक मुकदमों में से, इस मुद्दे पर कि क्या वादी कब्जे की डिक्री के हकदार थे, निचली अदालत का निष्कर्ष यह था कि मुकदमा भूमि के लिए निष्पादित बिक्री विलेखों को कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी या अमान्य घोषित नहीं किया गया था, आगे यह भी ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1 (वर्तमान मुकदमे में वर्णित वादी संख्या 1) ने अपनी गवाही में स्वीकार किया था कि 3 व्यक्ति, यानी माखन लाल, मांगे राम और ओम प्रकाश, भूमि के एक निश्चित हिस्से के सह-हिस्सेदार थे।

(28) उपरोक्त (और उन मुकदमों से संबंधित अन्य विवरणों) के अलावा, उन फैसलों में यह भी कहा गया था (इस याचिका में अनुलग्नक पी-4 और पी-8 की प्रतियां) कि बिक्री विलेख 2007 में निष्पादित किए गए थे, जिसके अनुसार कब्जा भी सौंप दिया गया था, जिससे पता चलता है कि प्रतिवादीगण (वर्तमान मुकदमे मे वर्णित वादी, यानी उत्तरवादी संख्या 1 व 2), भूखंड के कब्जे में नहीं थे और वास्तव में जिस व्यक्ति को संपत्ति बेची गई थी, उसने वादी के विक्रेताओं (उस मुकदमे में), यानी वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपने अधिकार को अलग कर दिया था।

(29) उस निष्कर्ष पर, यह निर्धारित किया गया कि कब्जा यहाँ उत्तरवादीगण के पास नहीं होने के कारण (उस मुकदमे में प्रतिवादीगण और वर्तमान में वादी), इस तथ्य को साबित करता है कि यहाँ याचिकाकर्ताओं (उन मुकदमों में वादी) को बाद में बेदखल कर दिया गया था।

(30) यह भी देखा गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि वाद भूमि का विभाजन नहीं हुआ था और उसमें प्रतिवादी सह-हिस्सेदार थे, किसी भी मामले में एक बार किसी विशेष सह-हिस्सेदार का कब्जा स्थापित हो जाने के बाद, वह नहीं हो सकता था उसे किसी अन्य सह-हिस्सेदार द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता था, और यदि संयुक्त रूप से आधारित भूमि का कोई विशिष्ट हिस्सा हस्तांतरीत कर दिया गया था, तो संपत्ति के विभाजन के समय ऐसे हस्तांतरण पर विचार किया जाएगा ।

(31) उपरोक्त निष्कर्षों पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित उन दोनों मुकदमों को विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में एक ही तिथि (03.10.2017) पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अवैध रूप से वहां से बेदखल कर दिया गया था और इसलिए वे वापस कब्जे में रखने के हकदार थे।

(32) दूसरी ओर, वर्तमान अधिनियम में मुकदमा प्रतिवादीगण द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें एक डिक्री की मांग की गई है कि दस्तावेज़ (बिक्री विलेख संख्या 12437 और 12438 दिनांकित 30.03.2007) को अमान्य घोषित किया जाए, वे जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं।

(33) इस प्रकार, प्रतिवादीगण ने अनिवार्य रूप से मांग की है कि उस तिथि पर उनके द्वारा निष्पादित किए गए बिक्री विलेखों को अमान्य घोषित किया जाए (स्पष्ट रूप से इस तरह के किसी भी अलगाव को प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए)।

(34) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पिछले मुकदमे में निष्कर्ष न्यायिक आधार के रूप में काम करेंगे या नहीं, जिससे प्रतिवादीगण को वर्तमान सूची में मुकदमा दायर करने से रोका जा सके, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः-

"6. **अचल संपत्ति से बेदखल व्यक्ति द्वारा वाद संपत्ति**

(1) यदि किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अलावा अचल संपत्ति की उसकी सहमति के बिना बेदखल कर दिया जाता है, तो वह या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे मुकदमे में स्थापित किए जाने वाले किसी अन्य अधिकार के बावजूद, मुकदमे द्वारा उसका कब्जा वसूल कर सकता है।

(2) इस धारा के तहत कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा –

(क) बेदखली की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद विस्थापन; या

(ख) सरकार के खिलाफ

(3) इस धारा के तहत स्थापित किसी मुकदमे में पारित किसी आदेश या डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी और न ही ऐसे किसी आदेश या डिक्री की किसी भी समीक्षा की अनुमति दी जाएगी।

(4) इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने और उसका कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए मुकदमा करने से नहीं रोकेगी।

(35) पूर्वोक्त प्रावधान की उप-धारा (4) बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि उक्त प्रावधान में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने से नहीं रोकेगा, जैसा कि संपत्ति पर पुनः कब्जा करने की मांग करने वाले मुकदमे की विषय वस्तु थी।

(36) दूसरे शब्दों में, राहत अधिनियम की धारा 6 केवल एक ऐसे व्यक्ति को वापस कब्जे में लेने के लिए लागू किया जाने वाला प्रावधान है, जिसे अवैध रूप से उस संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, जिस पर उसका कब्जा साबित हुआ है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह मुकदमे की संपत्ति का मालिक है या नहीं।

(37) इस प्रकार, इस तरह के मुकदमे में (1963 के अधिनियम की धारा 6 के तहत) केवल एक ही बात देखी जा सकती है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का मुकदमा दायर किया है, वह वास्तव में मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में साबित हुआ था और उसने उस मुकदमे को छह महीने की अवधि के भीतर दायर किया था, जब उसे अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया था।

(38) इसलिए, भले ही जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कब्जे से बेदखल कर दिया हो, उसे स्वयं अदालत द्वारा धारा 6 के तहत किसी भी मामले में बेदखल करने का आदेश दिया जाता है, और ऐसे मुकदमे में वादी को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में वापस रखा जाता है, यह उस व्यक्ति को, जिसने वादी (स्पष्ट रूप से धारा 6 के तहत मुकदमे में प्रतिवादी) को इस तरह बेदखल किया है, मुकदमे की संपत्ति पर अपने अधिकार को स्थापित करने और कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा उसके परिणामस्वरूप कब्जे की मांग करने के लिए एक अलग मुकदमा शुरू करने से नहीं रोकेगा।

(39) परिणामस्वरूप, बहुत स्पष्ट रूप से, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के अनुसार भी, जब उस प्रावधान के तहत स्थापित मुकदमे का आदेश दिया जाता है, तो पूर्वन्याय का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है, सिवाय शायद उस सीमा तक कि प्रासंगिक समय पर मुकदमे की संपत्ति पर वास्तव मे किस का कब्जा था, इस पर कोई भी निष्कर्ष पुन: उत्तेजित नहीं किया जा सकता है।

(40) जहाँ तक वाद की संपत्ति के स्वामित्व का संबंध है, दोहराने के लिए, पूर्वन्याय के सिद्धांत को विशेष रूप से उप-धारा (4) द्वारा हटा दिया गया है।

(41) जहाँ तक शिवदान सिंह के मामले (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की निर्भरता का संबंध है, वह मामला विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 का भी उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से पूर्वन्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर है जब कोई मुकदमा पहले दायर किया गया है, जिसमें उस मुद्दे पर निर्णय लिया गया है, उसके बाद ऐसा मुद्दा बाद के मुकदमे में उठाए जाने में सक्षम नहीं है।

(42) स्वाभाविक रूप से, यह पूर्व न्याय का मूल सिद्धांत है, हालांकि जब विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत एक मुकदमा दायर किया जाता है और यहां तक कि वादी के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो उसकी प्रयोज्यता नहीं होती है जिसमे प्रतिवादी को अभी भी बाद के मुकदमे मे स्वामित्व का सवाल उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

(43) साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 की कसौटी पर विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर आते हुए, हालांकि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रासंगिक होगा पूर्वन्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए भी प्रासंगिक होगा, हालांकि, एक वैधानिक प्रावधान के सामने विशिष्ट परिस्थितियों में राहत देने के उद्देश्य से अधिनियमित एक विशेष अधिनियम, यानी विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 साक्षय अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि एक बार 1963 के अधिनियम में कहा गया है कि उस अधिनियम की धारा 6 के तहत लाया गया मुकदमा उस पक्ष को अपना अधिकार साबित करने के लिए एक अलग मुकदमा शुरू करने से नहीं रोकता है, स्वाभाविक रूप से 1872 के अधिनियम की धारा 40 हो सकते हैं।

उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः-

"40. **दूसरे मुकदमे पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक पिछले निर्णयः-** आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो कानून द्वारा किसी भी न्यायालय को किसी मुकदमे का संज्ञान लेने या मुकदमा चलाने से रोकता है, एक प्रासंगिक तथ्य यह है कि जब सवाल यह है कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे मुकदमे का संज्ञान लेना चाहिए, या मुकदमा आयोजित करना चाहिए। "

(44) परिणामस्वरूप, उपरोक्त चर्चा को मध्य नजर, निचली अदालत के आदेश को उलटने का कोई आधार नहीं पाते हुए, इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

(45) हालाँकि, यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि वाद भूमि के कब्जे पर किसी भी निष्कर्ष के संबंध में, जैसा कि निचली अदालत द्वारा पिछले मुकदमे में दर्ज किया गया था (1963 के अधिनियम की धारा 6 के तहत स्थापित मुकदमे में दिनांक 03.10.2017 का निर्णय), इस तरह के निष्कर्ष पर निश्चित रूप से वर्तमान मुकदमे में निर्णय नहीं लिया जा सकता है, कम से कम उन लोगों के लिए जो धारा 6 के तहत मुकदमे में पक्षकार थे।

(46) वर्तमान मे मुकदमा शीर्षक और वेध कब्जे का अधिकार है। अतः दोनों पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के अनुसार, दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के बिक्री विलेखों दिनांक 30.03.2007 की वैधता पर पूरी तरह से उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, वर्तमान याचिका में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी का किसी भी पक्ष के मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि धारा 6 के तहत पिछले मुकदमे में दर्ज वाद संपत्ति के कब्जे के किसी भी निष्कर्ष की सीमा (उन मुकदमों में निचली अदालत के निर्णयों के अनुसार दोनों दिनांक 03.10.2017)।

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण-स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(सरोज बाला)
अनुवादक